न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2690–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 190/अपील/2010–11.

इन्दरबाई पत्नि श्री कुमेरसिंह
निवासी ग्राम बूरदा तहसील पचौर
जिला राजगढ़ म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. कमलसिंह आत्मज स्व0 देवकरण
2. मुकेश आत्मज स्व0 देवकरण
3. सुनीता पुत्री स्व0 देवकरण
4. ममता पुत्री स्व0 देवकरण
5. इंदरबाई पत्नि स्व0 देवकरण
6. कैलाश आत्मज श्री गंगाराम
   समस्त निवासी ग्राम बूरदा तहसील
   पचौर, जिला राजगढ़ म0प्र0

———अनावेदकगण

– – –

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक – अनावेदकगण

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 23 दिसम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 13–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदिका ने ग्राम बूरदा तहसील पचौर स्थित भूमि ख0नं0 66 रकबा 6.027 हे0 संयुक्त खाते में दर्ज भूमि के बटवारा हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र नायब तहसीलदार ने पारित आदेश दिनांक 7–6–2008 के द्वारा अनावेदक कमांक 5 एवं 6 का सही पता पेश नहीं करने के कारण निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–11–10 से अपील निरस्त की तथा नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त आदेश दिनांक 13–6–12 को अपीलार्थी द्वारा पता प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि चूंकि 7 वर्षों तक पति के लापता होने के आधार पर नामांतरण होने के पश्चात बटवारे हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने के पूर्व विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में बटवारा आवेदन प्रस्तुत होने पर अनावेदकगण एक साथ उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये वह जानबूझकर प्रकरण में तामील नहीं होने दे रहे हैं जबकि अपर आयुक्त न्यायालय में उक्त सभी अनावेदकगण ने एक ही अधिवक्ता नियुक्त कर अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण कमांक 34/अपील/07–08 पर दर्ज की गई। उक्त प्रतिलिपि अपील मेमो तथा वकालतनामा आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। यह भी तर्क दिया कि

अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रकिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि कुमेरसिंह को सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित नहीं हुआ था इसके कारण अपील में तहसीलदार द्वारा किया गया आवेदिका का नामांतरण निरस्त हो गया था। नामान्तरण निरस्त होने से बटवारा भी नहीं हो सकता था। यह भी तर्क दिया कि नियमानुसार बटवारा रिकार्डेड सहभूमिस्वामीयों के मध्य किये जाता है और आवेदिका रिकार्ड में सहभूमिस्वामी नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि प्रकरण में सहखातेदार को विधिवत तामील एवं सुनवाई करने के उपरांत ही बंटवारा किये जाने का प्रावधान है। अनावेदक कमांक 6 कैलाश का सही पता आवेदिका द्वारा कई बार अवसर देने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था इसी कारण तहसील न्यायालय ने दिनांक 7—6—08 को बटवारा आवेदन निरस्त किया, जिसे प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उचित माना। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती तथा उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त किये जाने का अुनरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सभी अनावेदकों को सूचना जारी करने के आदेश तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये। अनावेदक कमांक 6 कैलाश को नोटिस की तामील प्राप्त न होने पर आदेश पत्रिका दिनांक 22—1—08 को आवेदिका के अभिभाषक ने तहसील न्यायालय को अवगत कराया कि अनावेदक कमांक 6 कैलाश पिता गंगाराम अहीर हैड कास्टेबल सांरगपुर थाना पर पदस्थ है। अनावेदक कमांक 6 की तामिली थाना सांहरगपुर को रजिस्टर्ड भेजी जाये। तलवाना जमा

कराने पर तामिली जारी करने केआदेश दिये, परन्तु सात पेशी एवं लगभग 6 माह व्यतीत होने के पश्चात भी तलवाना एवं पता प्रस्तुत नहीं करने के कारण नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7–6–2008 के द्वारा अनावेदक कमांक 6 का पता प्रस्तुत नहीं करना दुर्भावना प्रेरित पाते हुये बटवारा आवेदन निरस्त किया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178(2) के अनुसार– *''तहसीलदार, सह–भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा''*

इस प्रकार स्पष्ट है कि बंटवारा हेतु सहखातेदारों को सुनना आवश्यक है इसीलिए आवेदिका के आवेदन पर नायब तहसीलदार ने बटवारा प्रकिया का पालन करने हेतु सहखातेदार अनावेदक कमांक 6 कैलाश को सूचना जारी करने हेतु सही पता एवं तलवाना प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये, परन्तु आवेदिका द्वारा सही पता एवं तलवाना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बंटवारा हेतु प्रस्तुत आवेदन आदेश दिनांक 7–6–2008 को निरस्त किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय ने यथावत रखा है। तीनों समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 13–6–2012 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर